प्रेस नोट जनपद संतकबीरनगर दिनांक 03.04.2024

क्षेत्राधिकारी मेंहदावल/रिजर्व पुलिस लाइन द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन में साप्ताहिक बुद्धवार परेड का किया गया निरीक्षण, दिये गए आवश्यक दिशा निर्देश

आज दिनांक 03.04.2024 को क्षेत्राधिकारी मेंहदावल/रिजर्व पुलिस लाइन लाइनसंतकबीरनगर *श्री राघवेन्द्र सिंह राठौर* द्वारा पुलिस लाइन परेड ग्राउण्ड मे साप्ताहिक बुद्धवार परेड की सलामी लेकर परेड का निरीक्षण किया गया। परेड में सम्मिलित पुलिस कर्मियों के टर्नआउट को चेक करते हुए सभी अधिकारी / कर्मचारीगणों को ड्यूटी के दौरान उच्च कोटि की वर्दी पहनने व जनता से मधुर व्यवहार स्थापित करने के लिए निर्देशित किया गया। निरीक्षण के पश्चात कर्मियों को शारीरिक रुप से फिट रहने हेतु दौड़ लगवाई गई व परेड के दौरान अनुशासन व एकरुपता के लिए टोलीवार ड्रिल कराई गई। पुलिस लाइन की बेहतर साफ-सफाई हेतु प्रतिसार निरीक्षक को निर्देशित किया गया। महोदय द्वारा पुलिस लाइन के आदेश कक्ष में सभी गार्द रजिस्टरों को चेक करते हुए गार्द की सुरक्षा के संबंध मे सभी गार्द कमांडरों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

जनपद – संतकबीरनगर* *प्रेस विज्ञप्ति* *दिनाँक 03.04.2024

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 3.500 किलो ग्राम अवैध गांजा के साथ अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री शशि शेखर सिंह*** के मार्गदर्शन में अवैध मादक पदार्थ की तस्करी व क्रय / विक्रय की रोकथाम हेतू चलाए जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री राघवेन्द्र सिंह राठौर*** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना बेलहरकला ***सुश्री सरोज शर्मा*** व एसओजी प्रभारी ***श्री सर्वेश राय*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन व गश्त के दौरान भेड़ौरा पिकौरा के पास से अभियुक्त नाम पता अवनेन्द्र सिंह उर्फ अन्नू पुत्र ओंमप्रकाश सिंह निवासी ग्राम बेलवा सेंगर थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर को दिनांक 02.04.2024 समय 19.40 बजे 3.500 किलो ग्राम अवैध गांजा के साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों-निर्देशों का अक्षरः पालन करते हुए गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण- अवनेन्द्र सिंह उर्फ अन्नू पुत्र ओंमप्रकाश सिंह निवासी ग्राम बेलवा सेंगर थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर।

पंजीकृत अभियोग– मु0अ0स0 83/2024 धारा 8/20/27ए/29 NDPS ACT थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी- 3.500 किलो ग्राम अवैध गांजा।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल- 1.एसओजी प्रभारी सर्वेश राय 2.उ0नि0 विनोद कुमार यादव 3.हे0का0 बृजकिशोर गुप्ता 4.का0 दीपक सिंह 5.का0 अरविन्द कुमार यादव 6.का0 बीरबहादुर यादव 7.का0 अरूण हलवाई 8.उ0नि0 लालबहादुर निषाद 9. का0 प्रदीप कुमार पटेल।

जनपद-संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 03.04.2024

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर द्वारा कार्यालय पुलिस अधीक्षक स्थित आंकिक शाखा वर्ष 2023 का वार्षिक निरीक्षण किया गया, दिये गये आवश्यक दिशा निर्देश

आज दिनांक 03.04.2024 को पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा कार्यालय में स्थित आंकिक शाखा के निरीक्षण के दौरान उनके अभिलेखों का वार्षिक निरीक्षण किया गया। आंकिक शाखा में रखी पत्रावलियों व अभिलेखों का गहनता से निरीक्षण किया गया साथ ही अभिलेखों के रखरखाव, साफ-सफाई हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

जनपद – संतकबीरनगर* *प्रेस विज्ञप्ति* *दिनाँक 03.04.2024

आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के दृष्टिगत थाना मेहदावल पुलिस द्वारा अर्धसैनिक बलों के साथ किया गया एरिया डोमिनेशन / फ्लैग मार्च

आज दिनांक 03.04.2024 को पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री शशि शेखर सिंह*** के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी मेहदावल ***श्री राघवेन्द्र सिंह राठौर*** के निकट पर्यवेक्षण में आगामी लोकसभा चुनाव को भयमुक्त व शांतिपूर्ण माहौल में सकुशल संपन्न कराने के दृष्टिगत उ0नि0 जितेन्द्र सिंह,उ0नि0 अनिल यादव द्वारा अर्धसैनिक बल के साथ चौकी क्षेत्र विसौवा अन्तर्गत संवेदनशील मतदान केन्द्र,कुंडवा,डडिया आदि स्थानों पर फ्लैग मार्च / एरिया डोमिनेशन की कार्यवाही की गयी। फ्लैग मार्च के दौरान लोगों को सुरक्षा का एहसास कराया गया व लोगों से भयमुक्त होकर मतदान की अपील की गई साथ ही चुनाव में गड़बड़ी पैदा करने वाले व शांति व्यवस्था खराब करने वाले अराजक तत्वों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की चेतावनी दी गयी। पैरामिलिट्री फोर्स सीआईएसएफ कम्पनी 377 व चौकी विसौवा के अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे।

जनपद – संतकबीरनगर* *प्रेस विज्ञप्ति* *दिनाँक 03.04.2024

आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के दृष्टिगत थाना धनघटा पुलिस द्वारा अर्धसैनिक बलों के साथ किया गया एरिया डोमिनेशन / फ्लैग मार्च

आज दिनांक 03.04.2024 को पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री शशि शेखर सिंह*** के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी धनघटा***श्री अजय सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में आगामी लोकसभा चुनाव को भयमुक्त व शांतिपूर्ण माहौल में सकुशल संपन्न कराने के दृष्टिगत उ0नि0 श्री रजनीश राय द्वारा अर्धसैनिक बल के साथ चौकी क्षेत्र पौली अन्तर्गत संवेदनशील मतदान केन्द्र कस्बा पौली , रामपुर बाराकोनी, रोश्या बाज़ार, दुल्हापार आदि जगहों पर पर फ्लैग मार्च / एरिया डोमिनेशन की कार्यवाही की गयी। फ्लैग मार्च के दौरान लोगों को सुरक्षा का एहसास कराया गया व लोगों से भयमुक्त होकर मतदान की अपील की गई साथ ही चुनाव में गड़बड़ी पैदा करने वाले व शांति व्यवस्था खराब करने वाले अराजक तत्वों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की चेतावनी दी गयी।

जनपद – संतकबीरनगर* *प्रेस विज्ञप्ति* *दिनाँक 03.04.2024

दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम **में *थाना बखिरा पुलिस द्वारा*** वारण्टी नाम पता अनरजीत पुत्र मदाने उर्फ मदनलाल साकिन लेडुआ महुआ टोला झुंगिया थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री वीर बहादुर यादव, हे0का0 रजनीश पाठक।

अवैध शराब निष्कर्षण, बिक्री के खिलाफ की कार्यवाही के अन्तर्गत थाना धनघटा पुलिस द्वारा 07 भट्ठियों को नष्ट करते हुए करीब 15 कुंतल लहन नष्ट किया गया तथा मौके से 500 लीटर कच्ची शराब बरामद कर विधिक कार्यवाही अमल में लायी गयी

थाना धनघटा पुलिस द्वारा थानाक्षेत्रान्तर्गत माझा क्षेत्र के भोतहा में आबकारी निरीक्षक श्री राजकिशोर पटेल व कर्मचारीगण के साथ आगमी लोक सभा चुनाव में शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत अवैध कच्ची शराब के विरुद्ध दबिश दी गई। जिसमे करीब 7 भट्ठियों को नष्ट करते हुए करीब 15 कुंतल लहन नष्ट किया गया तथा मौके से 500 लीटर कच्ची शराब बरामद कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री रजनीश राय मय पुलिस बल ।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 06 अभियुक्त गिरफ्तार

- ***थाना दुधारा पुलिस द्वारा*** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- ***थाना महुली पुलिस द्वारा*** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 159 वाहनों से 2,03,800 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 03.04.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 159 वाहनों से 2,03,800 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।

प्रेस नोट जनपद संतकबीरनगर दिनाँक 03.04.2024

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में यातायात प्रभारी द्वारा जनमानस को यातायात के नियमों एवं सुरक्षा मानकों मोडिफाई साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न व काली फिल्म के विरुद्ध अभियान चलाकर जागरूक किया गया

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी य़ातायात *श्री केशवनाथ* के पर्यवेक्षण में प्रभारी यातायात ***श्री परमहंस*** द्वारा मेंहदावल बायपास पर यातायात सुरक्षा के दृष्टिगत आज दिनांक 03.04.2024 को जनमानस को यातायात जागरुकता के नियमों के बारें में जागरुक करते हुए मोडिफाई साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न व काली फिल्म के विरुद्ध अभियान चलाकर वाहन चलाते समय तीन सवारी न बैठने, बिना नम्बर प्लेट लगी वाहन न चलाने, नशे की हालत में गाड़ी न चलाने, वाहन को ओवर स्पीड़ से न चलाने के साथ लोगों से अपील किया गया की वे अपने परिवार वालों एवं रिश्तेदारों तथा आसपास के लोगों को वाहन चलाते समय हेल्मेट व सीट बेल्ट के प्रयोग करने हेतु प्रेरित करने की भी अपील की गयी ।

जनपद-संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 03.04.2024

"ऑपरेशन कनविक्शन" व "ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप चोरों के गिरोह से सम्बन्धित होने पर 01 अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि व 1000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के द्वारा अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं ।

उक्त निर्देश के क्रम में ***संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल*** के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप आज दिनांक 03.04.2024 को ***न्यायालय – ए0सी0जे0(एस0डी0), जनपद सन्तकबीरनगर*** द्वारा ***थाना मेंहदावल*** पर पंजीकृत मु0अ0सं0 163/2000 धारा 401 भा0द0वि0 के मामलें में अभियुक्त नाम पता चन्द्रभान पुत्र छोटेलाल निवासी परसाशेख थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को अन्तर्गत धारा 401 भा0द0वि0 के अपराध के लिए जेल में बितायी गयी अवधि व 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 02 दिवस के कारावास की सजा भुगतनी होगी ।

जनपद-संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 03.04.2024

"ऑपरेशन कनविक्शन" व "ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप एनडीपीएस एक्ट के मामलें में 01 अभियुक्त को 04 माह के कठोर कारावास व 2000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के द्वारा अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में ***संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल*** के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप आज दिनांक 03.04.2024 को ***न्यायालय – अपर सत्र न्यायाधीश / एफटीसी-02, जनपद सन्तकबीरनगर*** द्वारा ***थाना को0 खलीलाबाद*** पर पंजीकृत मु0अ0सं0 1187/2023 धारा 21(बी) एनडीपीएस एक्ट के मामलें में अभियुक्त नाम पता राजेश उर्फ सद्दाम अंसारी पुत्र निजामुद्दीन अंसारी निवासी काशीराम आवास खलीलाबाद थाना खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को अन्तर्गत धारा 21(बी) एनडीपीएस एक्ट के अपराध के लिए 04 माह के कठोर कारावास व अर्थदण्ड 2000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 15 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 03.04.2024

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसहयोग से 01 स्थान पर लगवाये गये 01 सीसीटीवी कैमरे

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर द्वारा चलाये जा रहे ***आपरेशन त्रिनेत्र हर घर कैमरा अभियान*** के तहत पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में आज दिनांक 03.04.2024 को संतकबीरनगर पुलिस द्वारा जनसहयोग से 01 स्थान पर 01 सीसीटीवी कैमरें लगवाये गये। ***थाना कोतवाली खलीलाबाद*** पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 01 कैमरे लगवाकर सराहनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों को माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसामान्य से अपील किया जा रहा है कि वे अपने अपने घरों, कालोनियों व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरें जरुर लगवाएं और कम से कम एक कैमरे से सड़क पर भी निगरानी रखें, जिससे कि अपराधिक व असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जा सके, आपका यह छोटा सा प्रयास कानून व्यवस्था बेहतर करने में बहुत कारगर होगा।

जनपद-संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 03.04.2024

"ऑपरेशन कनविक्शन" व "ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप एनडीपीएस एक्ट के मामलें में 01 अभियुक्त को 06 माह के कारावास व 3000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के द्वारा अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में ***संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल*** के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप आज दिनांक 03.04.2024 को ***न्यायालय – सी0जे0एम0, जनपद सन्तकबीरनगर*** द्वारा ***थाना को0 खलीलाबाद*** पर पंजीकृत मु0अ0सं0 111/2003 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के मामलें में अभियुक्त नाम पता खुर्शीद आलम उर्फ राफे पुत्र अजीम खां निवासी अन्जान सईद मगहर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अन्तर्गत धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अपराध के लिए 06 माह के कारावास(जेल में बिताई गयी अवधि को समायोजित किया जाएगा) व अर्थदण्ड 3000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 15 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।